(163)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम.के. सिंह,
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3952–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला दतिया प्रकरण कमांक 88/अपील/2014–15.

---

1. रमेश सिंधी पुत्र श्री मगनमल सिंधी
2. मोहनलाल सिंधी पुत्र श्री मगनमल सिंधी
   निवासी रिछरा फाटक
   हाल निवासी – रामनगर झांसी रोड, दतिया
   जिला दतिया म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. द्वारका प्रसाद सेठ पुत्र स्व. श्री मन्नीलाल सेठ
   निवासी 18 गोपाल नीखरा, झांसी उ0प्र0
2– डॉ0 ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
   निवासी 1 ए आवास विकास कॉलोनी,
   नन्दनपुरा, झांसी उ.प्र.
3– अशोक कुमार सेठ पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
   निवासी 54 गोपाल नीखसा, झांसी उ.प्र.
4– डॉ0 चन्द्र प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
   निवासी एन 7 चेतकपुरी,
   ग्वालियर म.प्र.
5– आनन्द प्रकाश सेठ पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
   निवासी सुभाषगंज झांसी उ0प्र0 ..... अनावेदकगण

श्री आर. एस. सेंगर, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20 – 6 – 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदनपत्र म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल

अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, जिला दतिया के प्रकरण कमांक 88/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31–10–15 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रामनगर तहसील दतिया स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 382/2 रकबा 1.943 हैक्टर भूमि पर अनावेदकों के विरूद्ध वर्ष 96–97 में अतिकमण रिर्पोट पटवारी द्वारापेश की गई । उक्त रिर्पोट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में साक्ष्य आदि लेकर आदेश दिनांक 20–4–1998 द्वारा उक्त भूमि पर संहिता की धारा 190/110 के तहत अनावेदकों का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश दिए । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 20–4–98 के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 30–9–2002 को अपील प्रस्तुत की ।

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–98 को 4 वर्ष उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर कलेक्टर, दतिया द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर कार्यवाही की गई एवं उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह मानकर कि प्रकरण में शासन का कोई हित प्रभावित नहीं होता है, स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समाप्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा राजस्व मंडल में निगरानी कमांक 1960–एक/05 प्रस्तुत की जो राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 10–1–2007 द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए निगरानी निरस्त की गई । इस आदेश को कोई चुनौती आवेदकों द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में नहीं दी गई है ।

राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–98 के विरूद्ध प्रस्तुत समयावधि बाह्य अपील आदेश दिनांक 31–7–12 द्वारा स्वीकार की एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा उन्हें प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अंतरिम आवेदन

कमशः आदेश 6 नियम 17, आदेश 41 नियम, 27 एवं अवधि विधान की धारा 5 का निराकरण कर उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण का में आदेश पारित करने की न्यायोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश के पालन में आवेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करने का अनुरोध किया गया जिसे तहसीलदार, दतिया ने आदेश दिनांक 25–3–15 द्वारा स्वीकार कर आवेदकों का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 8–9–15 को अपील पेश की । जिस पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों को नोटिस जारी किया गया जिसके उत्तर में आवेदकगण उपस्थित हुए । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

अनावेदकों द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही अनुविभागीय अधिकारी ने एक पृथक प्रकरण कमांक 93/152/बी–121/14–15 अपने स्वविवेक से दर्ज कर आवेदकों को सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें लेख किया गया कि वे बतायें कि राजस्व अभिलेख में उनका नाम प्रश्नाधीन भूमि पर किस प्रकार आया । आवेदकों ने उपस्थित होकर दस्तावेजों सहित अपना उत्तर प्रस्तुत किया जाकर उक्त प्रकरण निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया । किंतु अनुविभागीय अधिकारी ने इस प्रकरण में भी कार्यवाही जारी रखी ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेख में अमल किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं थी, अनुविभागी अधिकारी ने बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही प्रारंभ की है । अमल आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलित होने के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों को दिनांक 2–9–15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि वे यह बतायें कि उनके पास प्रश्नाधीन भूमि कैसे आई । अनुविभागीय अधिकारी की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि

वे आवेदकों को येनकेन प्रकारेण बदले की भावना से कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि आवेदकों द्वारा उनके समक्ष इस संबंध में समस्त तथ्य रखे गये थे ।

यह भी कहा गया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, इसका निर्णय पूर्व में हो चुका है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निगरानी वरिष्ठ न्यायालय में संचालित होने के बावजूद अनुविभागीय अधिकारी मनमानी कार्यवाही कर आवेदक को परेशान कर रहे हैं तथा अधिकारिता रहित अपील संचालित किए हुए हैं, जो वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना है ।

4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त के आदेश (जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है) के पालन में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवेदकों का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिए गये हैं । तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन कर अमल के आदेश दिए हैं, पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया है, अतः तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है । प्रकरण में संलग्न अभिलेखों को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में मनमाने तरीके से कार्यवाही की गई है, एक ओर अपील को ग्राह्य किया गया है वहीं दूसरी ओर आवेदकों को यह सूचनापत्र दिया गया है कि वे यह बतायें कि उनके पास भूमि कैसे आई जबकि यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है अपितु आवेदकगण के भूमिस्वामित्व की है, जिस पर उनका नामांतरण तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-4-98 द्वारा किया गया है, और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 10-1-2007 के आदेश द्वारा की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन कर अभिलेख दुरस्त करने का जो आदेश दिया है, उसके विरूद्ध अपील को ग्राह्य करने में तथा आवेदकों यह सूचनापत्र जारी करने में कि वे यह बतायें कि उनके पास भूमि कैसे आई, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलीय पोषणीय न होने से समाप्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर